यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 107 / 2018 **दिनांक :** 15.09.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

चिकित्सा बीमा योजना

चिकित्सा बीमा योजना के विषय में आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य चर्चा का एक और दौर दिनांक 14.09.2018 को सम्पन्न हुआ। इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28 / 74 / 2018 / 37 दिनांक 15.09.18 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों के लिए चिकित्सा बीमा योजना
14.9.2018 को यूएफबीयू का आईबीए के साथ विचार–विमर्श

इकाईओं को ज्ञात है कि चिकित्सा बीमा योजना के मुद्दे पर 8.8.2018 को आईबीए के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें हमने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए थे, विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों की चिकित्सा बीमा नीति के तहत कम प्रीमियम दर प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ जहाँ यूआईआईसी ने प्रीमियम दरों में तीखी वृद्धि का प्रस्ताव किया।

इन चर्चाओं के आधार पर, आईबीए ने यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी के साथ चर्चा की और उस पृष्ठभूमि में, बैठक का एक और दौर कल आईबीए के साथ हुआ।

आईबीए ने यूआईआईसी के साथ हुए विचार विमर्श पर और यूआईआईसी द्वारा उनको दिए गए आंकड़ों पर सूचना दी।

सेवारत कर्मचारियों /अधिकारियों के लिए नीति

	2015–16	2016–17	2017–18
प्रदत्त प्रीमियम	389 करोड़	769 करोड़	763 करोड़
निपटाए गए दावे	809 करोड़	805 करोड़	804 करोड़

सेवानिवृत्तों के लिए नीति (विकल्प I – घरेलू उपचार के बिना)

	2016–17	2017–18
प्रदत्त प्रीमियम	134 करोड़	203 करोड़
निपटाए गए दावे	175 करोड़	337 करोड़

सेवानिवृत्तों के लिए नीति (विकल्प II – घरेलू उपचार सहित)

	2016–17	2017–18
प्रदत्त प्रीमियम	149 करोड़	106 करोड़
निपटाए गए दावे	313 करोड़	149 करोड़

शामिल परिवारों की संख्या :

	2016–17	2017–18
सेवारत कर्मचारी/अधिकारी	6.46 लाख	7.14 लाख
सेवानिवृत्त (विकल्प I)	1.04 लाख	1.61 लाख
सेवानिवृत्त (विकल्प II)	89,000	38,000

प्रदत्त प्रीमियम – भुगतान किए गए दावे – शुद्ध हानि (वर्तमान कर्मचारी/अधिकारी + सेवानिवृत्त)

	2015–16	2016–17	2017–18
प्रदत्त प्रीमियम	518 करोड़	1052 करोड़	1105 करोड़
भुगतान किए गए दावे	1134 करोड़	1293 करोड़	1423 करोड़
दलाली/टीपीए शुल्क	44 करोड़	71 करोड़	71 करोड़
शुद्ध हानि	660 करोड़	312 करोड़	392 करोड़

प्रदत्त प्रीमियम और निपटाये गए दावों के बीच निरंतर अंतर और असंतुलन को ध्यान में रखते हुए, यूआईआईसी ने आईबीए को अपनी प्रीमियम दरों को बढ़ाने की आवश्यकता को बताया और आईबीए को सूचित किया कि यदि योजना का कुछ पुर्नगठन हो सकता है, तो प्रीमियम दरों को भी तद्नुसार समीक्षा और संशोधित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आईबीए ने सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ही साथ सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम दरों को कम करने के उद्देश्य से योजना में संभावित संशोधन के लिए हमारे विचार और सुझाव मांगे थे ।

चर्चा के उपरांत, यूएफबीयू और आईबीए द्वारा यह पारस्परिक रूप से समझा गया कि आईबीए के साथ हमारे समझौते के अनुसार मौजूदा चिकित्सा बीमा नीति जारी रहनी चाहिए और आईबीए को केवल सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों के साथ व्यवहार करना चाहिए।

आईबीए ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की सलाह के अनुसार, ब्रोकर कंपनियाँ योजना में शामिल नहीं होंगी।

योजना में संशोधन की कुछ संभावनाओं पर चर्चा की गई और आईबीए ने हमारे विचारों के लिए भी सुझाव दिए थे। आईबीए ने यूएफबीयू से एक या दो दिन में अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जिसके बाद आईबीए द्वारा यूआईआईसी के साथ मामले को उठाया जाएगा जिसके आधार पर यूआईआईसी प्रीमियम दरों पर अपने प्रस्ताव को संशोधित करेगी।

इस बीच, हमारे अनुरोध पर, आईबीए बैंकों को यह सलाह देने के के लिए सहमत हुई कि वे यूआईआईसी के पहले के प्रस्ताव के आधार पर नीति के नवीनीकरण के लिए सेवानिवृत्तों से विकल्प की मांग न करें।

हम इस संबंध में आगामी प्रगति के बारे में अपनी यूनियनों को सूचित करेंगे।

वार्ता का अगला दौर : आईबीए ने हमें सूचित किया कि नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का अगला दौर 29.09.2018 को आयोजित किया जायेगा।''

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री